<u>राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.02.2023</u>

न्यायालय सिविल जज(सीनियर डिवीजन),पीलीभीत

CNR No. UPPB05000-719-2022

<u>उत्तराधिकार वाद सं0–260/2022</u>

किशोरी देवी ---------------------------------**प्रार्थिनी/याचिनी**

बनाम

जय सिंह आदि ------------------------------------**विपक्षीगण ।**

<u>दिनांक 11.02.2023</u>

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया है। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

प्रार्थना पत्र 4ख प्रार्थिनी किशोरी देवी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित मृतक स्व0 श्री राधेश्याम पुत्र श्याम लाल, निवासी ग्राम भैंसहा ग्वालपुर, तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत के नाम बैंक आफ बड़ौदा, शाखा बरखेड़ा कला, जिला पीलीभीत में बचत खाता सं. 08300100006723 में जमा धनराशि मु. 5,19,072/–रूपये (पांच लाख उन्नीस हजार बहत्तर) रूपये मय ब्याज प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

नोटिस का तामीला जरिये खास, मुनादी एवं प्रकाशन द्वारा करायी गयी। कोई आपत्ति जन सामान्य की ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थिनी की तरफ से अपने कथनों के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं।

नजदीकी रिश्तेदारान (विपक्षीगण) की तरफ से अनापत्ति प्रस्तुत है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना–पत्र 4ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना–पत्र कागज सं. 4ख स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिनी किशोरी देवी द्वारा मुंसरिम आख्या के अनुसार निर्धारित न्याय शुल्क अदा करने पर उसके पक्ष में, उक्त वर्णित मृतक स्व0 श्री राधेश्याम पुत्र श्याम लाल, निवासी ग्राम भैंसहा ग्वालपुर, तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत के नाम बैंक आफ बड़ौदा, शाखा बरखेड़ा कला, जिला पीलीभीत में बचत खाता सं. 08300100006723 में जमा धनराशि मु. 5,19,072/–रूपये (पांच लाख उन्नीस हजार बहत्तर) रूपये मय ब्याज प्राप्त करने के संदर्भ में, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नियमानुसार इस शर्त के साथ निर्गत किया जाये कि प्रार्थिनी एक अण्डर टेकिंग इस आशय का दाखिल करे कि वह भविष्य में प्रश्नगत सम्पत्ति/धनराशि के बाबत यदि किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई भी दावा होता है अथवा अधिकार पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी तद्नुसार उक्त दावा अथवा अधिकार की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगी, साथ ही प्रार्थिनी प्रश्नगत धनराशि की एक प्रतिभू भी न्यायालय में दाखिल करे। प्रार्थिनी न्यायशुल्क एक माह में अदा करें।

(नेहा गंगवार)
सिविल जज (सीनियर डिवीजन),
पीलीभीत।
11.02.2023